311 11:00 am

संख्या:– /XIV–1/17/5(19)2010

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग देहरादून: दिनांक: 27 सितम्बर, 2017

विषय– दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को रू0 1.00 लाख तक का ऋण 02 प्रतिशत ब्याज की दर पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1160/XIV–1/2015–5(19)2010 दिनांक–06 अक्टूबर, 2016 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता सहभागिता योजनान्तर्गत लघु, सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित समस्त सैक्टर यथा हाल्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, पशुपालन, जड़ी–बूटी, सगन्ध पादप, डेरी, फिशरी, मशरूम इत्यादि में कलस्टर विकसित कर कृषकों को आर्थिक सुविधा प्रदान करते हुए उनकी कृषि उत्पादन आय को दोगुनी कर लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से **"दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना"** के अन्तर्गत रू0 1.00 लाख तक का अल्पकालीन/मध्यकालीन ऋण 02 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराये जाने तथा वितरित कृषि ऋण का प्रथम वर्ष का ब्याज रू0 33.00 करोड़ एवं आगामी वर्षो में रू0 6.00 करोड़ से रू0 8.00 करोड़ की वृद्धि होने पर उक्त सम्पूर्ण व्यय भार को राज्य सरकार द्वारा निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वहन किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. यह योजना दिनांक–01 अक्टूबर, 2017 को **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली जी** की पुण्य तिथि से प्रारम्भ की जायेगी, जो कि स्वीकृत ऋणों पर ही प्रभावी होगी।
2. इस योजना के अन्तर्गत लघु/सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा, और उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
3. लघु/सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के एक सदस्य को ही उक्त योजना का लाभ दिया जायेगा।
4. लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी0पी0एल0 परिवार का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/घोषित ऐजेन्सी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र/मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।
5. योजना का लाभ सहकारी बकायेदार सदस्यों को नहीं दिया जायेगा।

क्रमशः–2

6. योजना का नियोजन विभाग से मूल्यांकन एवं अध्ययन कराया जाय।
7. योजना सहकारी समितियों/जिला सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से वितरित ऋणों पर ही प्रभावी होगी।
8. योजना का लाभ लाभार्थी को डी0बी0टी0 (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) योजना का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रदान किया जायेगा।
9. योजनान्तर्गत ऋण वितरण का लक्ष्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राविधानित बजट के सापेक्ष ही निर्धारित किया जायेगा। बजट से अधिक ऋण वितरण करने पर सम्पूर्ण दायित्व एवं जिम्मेदारी निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड की होगी।
10. योजना के अन्तर्गत जिन लघु एवँ सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों के सदस्यों द्वारा रू0 1.00 लाख तक का ऋण लिया जायेगा, उन्हें ही 02 प्रतिशत ब्याज की दर देय होगी।
11. यदि पात्र लभार्थी को उक्त योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है और वह अपने ऋण का भुगतान निर्धारित तिथि पर नहीं कर पाता है, तो उस सदस्य को योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा और उससे चालू सामान्य दर के अनुसार वसूली की जायेगी।
12. कृषकों द्वारा समय से ऋण अदायगी किये जाने पर ब्याज अनुदान की मांग त्रैमासिक आधार पर सहकारी समिति स्तर से, सहायक विकास अधिकारी (सह0)/शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 तथा जिला स्तर पर जिला सहायक निबन्धक/सचिव महाप्रबन्धक के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 को प्रेषित की जायेगी। तथा प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक, लि0, हल्द्वानी, नैनीताल से सूचना संकलित करते हुए निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के स्तर पर इस योजना के अन्तर्गत ब्याज की प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।
13. उक्त योजना के अन्तर्गत जनपदवार बजट निर्धारण निबन्धक स्तर से किया जायेगा तथा प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में कृषकों को ऋण वितरण समानुपातिक रूप से किया जायेगा, जिससे योजना का लाभ विकास खण्ड स्तर पर समुचित रूप से मिल सके।
14. कृषि से सम्बन्धित समस्त सैक्टर यथा हाल्टीकल्चर, फलोरीकल्चर, पशुपालन, जड़ी–बूटी, सगन्ध पादप, डेरी, फिशरी, मशरूम इत्यादि के अन्तर्गत ऋण की अधिकतम सीमा रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) रूपये होगी, और लाभार्थी को एक बार ही उक्त व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
15. योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किये गये लाभार्थी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय एवं उनकी आर्थिक स्थिति में हुयी प्रगति का विवरण जिला सहायक निबन्धक एवं महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रगति रिपोर्ट निबन्धक, सहकारिता विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रमशः—:

16. योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों की त्रैमासिक प्रगति जनपदवार अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। त्रैमासिक समीक्षा के उपरान्त ही राजकीय अंश की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

17. मुख्यालय/जिला/विकास खण्ड स्तर पर अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

18. राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य करायी जाने वाली सहायता का भुगतान बजट में निहित लेखाशीर्षक के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0 संख्या–81/XXVII–4–17/दिनांक–27 सितम्बर, 2017 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या–1295/(1)/ XIV–1/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
9. समस्त महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।
10. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0ए उत्तराखण्ड।
13. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर।
14. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(तुलसी राम)
अपर सचिव।